फर्द अहकाम

(नियम 20)

अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम राजेन्द्र सिंह हल्का 33ML

किस्म मुकदमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. ..... सन् 2020 अधिनियम 1954

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
	18.09.20 रिपोर्ट पटवारी / गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि अप्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जट सिख साकिन 15 T.K. ने चक 33ML के मु.नं. 21 कि.नं. ..... में कुल 3.482 हैक्टर / बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत् खरीफ 2077 में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.09.20 को पेश हो।	घ रजि० के पृष्ठ सं० 102 की क्र० सं० पर मुकदमा कायम की गई।
28-9-20	पत्रावली प्रस्तुत आदेश आगे हुई संक्षेपतः अप्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त किया है अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थी को भू-राजस्व की दुगुना पैनल्टी राशि रूपये 1893/- आदेश तेरह का तिरानवे रूपये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर कायम किया जाता है विपक्ष को इस आदेश के लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया पालनोपरान्त पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	